निगरानी प्र0क0-59 / 17

नेशनल लोक अदालत दिनांक 22.04.2018

उभयपक्ष के निवेदन अनुसार न्यायहित में प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत के समक्ष सुनवाई में लिया गया।

निगरानीकर्ता पक्ष श्रीमती मंजू सहित श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिनिगरानीकर्ता मनोज सहित श्री उदल सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित ने प्रतिनिगरानीकर्ता की ओर से प्रकरण में एडवोकेट मेमो पेश किया।

सुना गया। उपस्थित उभयपक्ष की ओर से आपसी राजीनामा आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उनके मध्य आपस में स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो गया है तथा वे साथ—साथ रहने लगे हैं एवं उनके बीच वर्तमान में किसी प्रकार का कोई विवाद या झगडा शेष नहीं रहा है और उक्त कारण से उभयपक्ष इस निगरानी प्रकरण को स्वेच्छयापूर्वक आगे नहीं चालाना चाहते हैं तथा अनावेदक पक्ष, आवेदक पक्ष को योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आलोच्य आदेश दिनांकित 12. 05.17 के अनुसार भरण पोषण राशि अदा करता रहेगा एवं उक्त राजीनामा नाबालिग पुत्रगण के हित में उनकी माँ एवं सरपरस्त श्रीमती मंजू द्वारा किया जाना बताया गया है।

अतः उभयपक्ष के मध्य उपरोक्तानुसार स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा हो जाने से इस निगरानी प्रकरण को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है तथा उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई है।

अतः प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार न्यायहित में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वेच्छिक एवं विधि सम्मत होने से स्वीकार किया जाकर इस निगरानी प्रकरण निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष को आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदाय की जाये। प्रकरण में पूर्व से नियत आगामी तिथि निरस्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

सुनील कांकर एड. (सदस्य) धर्मेंद्र पाण्डेय एड. (सदस्य)

(सतीश कुमार गुप्ता) पीठासीन अधिकारी ख0पी0क021 एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद. जिला भिण्ड